न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/प.21(1)आरपीएमएफ/2012–13/ 1927-65 दिनांक 25 APR 2014

कोषाधिकारी
समस्त

राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत प्राप्त चिकित्सा सहायता/सीमावृद्धि प्रकरणों एवं अन्य सूचनाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय सदस्य सचिव एवं निदेशक, पेंशन (आर.पी.एम.एफ) द्वारा कोषाधिकारियों को समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्णरूप से पालना नहीं की जाती है एवं वांछित सूचनाएं भी समय पर प्रेषित नहीं की जाती है। निम्न कमियां देखने में आयी है जिनमें सुधार वांछित है:–

1. मासिक लेखे एवं मासिक प्रतिवेदन भी बार–बार टेलीफोन पर स्मरण कराने पर भेजे जाते हैं। विलम्ब से सूचनाएं प्राप्त होने से मासिक लेखे/प्रतिवेदन संकलित करने में भी अनावश्यक विलम्ब होता है।
2. सीमावृद्धि प्रकरणों को इस कार्यालय में भेजने से पूर्व कोषालय स्तर पर पूर्ण जांच नहीं की जाती है। विशिष्ठ उपचार प्रकरणों में मुख्य रूप से पाई गई कमियों का विवरण संलग्न कर निवेदन है कि भविष्य में समस्त कमियों की पूर्ति करवाकर प्रकरण भिजवाना सुनिश्चित करावें।
3. विशिष्ठ इलाज एवं जांच प्रकरण भी अपूर्ण प्राप्त होते हैं। इस कार्यालय द्वारा निर्धारित स्क्रूटनीशीट (संलग्न) पूर्ण कर संलग्न नहीं की जाती है। प्रकरण कोषालय स्तर पर पूर्ण जांच किये बिना ही भिजवा दिये जाते हैं।
4. अन्तर कोषालय राशि हस्तान्तरण की स्वीकृतियों की अनुपालना में राशि हस्तान्तरित नहीं की जाती है, जिसके अभाव में स्वीकृति जारी करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
5. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना नहीं भेजी जाती है अथवा प्रेषित अनुपालना अधूरी होती है।
6. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी के रूप में कोषाधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों को मुस्तेदी से निर्वहन नहीं किया जाता है। न्यायालय प्रकरणों में न्यायालय निर्णयों की पालना भी यथासमय नहीं किये जाने से अवमानना प्रकरण दायर किये जाने से विभाग की छवि भी न्यायालय में धूमिल होती है। यहां तक कि न्याय विभाग एवं संबंधित विभागाध्यक्षों को न्यायालय प्रकरणों पर हुऐ निर्णय एवं प्रगति से भी समय पर अवगत नहीं कराया जाता है।

इस संबंध में जारी निर्देश क्रमांक/1544–81 दिनांक 11–06–2008 की प्रति संलग्न है।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत भेजे जाने वाले प्रकरणों की कोष कार्यालय स्तर पर पूर्ण जांच कर प्रेषित करावें ताकि प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लौटाना नहीं पड़े एवं समय पर पेंशनर्स को चिकित्सा सहायता मिल सके। भविष्य में वांछित सूचना समय पर भिजवाना, निरीक्षण प्रतिवेदनों की पूर्ण अनुपालना प्रेषित करना, अन्तर कोषालय राशि हस्तान्तरण स्वीकृतियों की शीघ्र अनुपालना तथा न्यायालय प्रकरणों की समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करावें।

(दिनेश कुमार मित्तल)
सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

पेंशनर द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा व्यय बिल का परीक्षण किये जाने पर प्रस्तुत क्लेम में सामान्यतया निम्नलिखित कमियां पायी जाती है:–

1. उपचार अवधि से संबंधित मेडिकल डायरी के प्रथम पृष्ठ/नवीनीकरण के पृष्ठ की सत्य प्रतिलिपि संलग्न नहीं की जाती है।
2. परमावश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया जाता है/पूरा भरा हुआ नहीं होता है/पेंशनर के हस्ताक्षर नहीं होते है।
3. अस्पताल का डिस्चार्ज टिकिट/चिकित्सक की प्रिस्क्रेप्शन स्लिप संलग्न नहीं की जाती है।
4. परमावश्यक–प्रमाण–पत्र तथा संबंधित बिल्स/वाउचर्स चिकित्सक से सत्यापित नहीं होते है।
5. स्क्रूटनी शीट संलग्न नहीं की जाती है।
6. अस्पताल का मूल् बिल संलग्न नहीं किया जाता है/चिकित्सक से प्रमाणित नहीं होता है/For कर हस्ताक्षर होते हैं।
7. पीपीओ की प्रति संलग्न नहीं की जाती है।
8. चिकित्सक के हस्ताक्षरों के नीचे अस्पताल की मुद्रांक (Seal) अंकित नहीं की जाती है।
9. परमावश्यक–प्रमाण–पत्र पर सम्पूर्ण व्यय राशि अंकित कर चिकित्सक से सत्यापित नहीं करवायी जाती है।
10. परमावश्यक प्रमाण–पत्र पर चिकित्सालय की पंजिका में प्रविष्टि का क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं होता है।
11. परमावश्यक–प्रमाण–पत्र पर समुचित स्थान पर चिकित्सक के हस्ताक्षर तथा मुद्रांक (Seal) अंकित नहीं होती है।
12. राज्य में स्थित निजी/चैरिटेबल अस्पतालों में गम्भीर आपातकालीन स्थिति में अन्तरंग उपचार कराये जाने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 06–02–2009 तथा नियम 10(3) के अन्तर्गत पेंशनर का शपथ–पत्र नोटेरी से सत्यापित एवं उपचारकर्त्ता चिकित्सक का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होता है।
13. अस्पताल का विस्तृत बिल (Detailed bill)/Break up of bill/Detailing the nomenclature of investigation, medicines etc. संलग्न नहीं किया जाता है।
14. कोई अन्य बिन्दु, जो पुनर्भरण को प्रभावित करते हो यथा– बीमा आदि अन्य स्त्रोतों से पुनर्भरण से संबंधित दस्तावेज।

Office of the Treasury Officer & Secretary, District Committee, RPMF

District .....

SCRUTINY SHEET

(To accompany with individual claim)

Financial assistance for specialized treatment under Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme.

1	Name of the Pensioner with PPO No.	
2	1. Name of the Hospital where treatment was taken Mention whether Government Hospital, or Recognized/Unrecognized Hospital	
3	Whether treatment taken as (Please strike out the inapplicable word)	indoor / outdoor
4	Disease (As diagnosed by treating M.O)	
5	Name of patient with relationship	
6	Period of treatment	
7	Date of operation if any	
8	Total expenditure incurred (on what date)	
9	Year for which Medical Diary is renewed	
10	(i) Recommendation of Medical Board/ or Principal and Controller of attached Hospital if any please give Alternatively	
	(ii) If Board made reference for out of state treatment with some condition please reproduce the condition laid down	
	(iii) If allowed to proceed out of state for treatment on request made a mention thereof	

11	**Details of claim**	**Actual expenditure Incurred**	**Amount admissible as per Scheme**
	1. Operation Charge/CABG		
	2. Stent No.		
	3. Angioplasty/Balloon plasty		
	4. Medicines (i) Purchases Against NAC (ii) Without NAC		
	5. Pacemaker		
	6. Angiography		

	7. Other Misc		
	Total		

12	Whether essentiality Certificate is enclosed duly verified by the Medical Officer with application form signed by the pensioner/Spouse	
13	Photocopy of the First page of Medical Diary at the time of treatment to be enclosed	
14	Discharge Ticket of the concerned Hospital where treatment taken to be enclosed	
15	Whether the bill is submitted in original	
16	Whether the details break up of bill i.e. room rent, consultation charges, lab/test charges, medicines, implants, O.T. Charges, Anesthesia charges etc. enclosed alongwith the bill	
17	Remarks (Like reimbursement from any other source)	

Note: This Checklist must be attached with each bill.

This is certified that above facts are verified with the claim at treasury level.

Initials of the
Dealing Assistant

Seal & Signature of the
Treasury Officer & Secretary
District Committee, RPMF

List of Enclosures

1)

2)

3)

4)

न्यासी बोर्ड

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना,

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.21(1)आरपीएमएफ/2007–08/ 1544–81 दिनांक 11.6.08

कोषाधिकारी,

.....

राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत प्राप्त चिकित्सा सहायता/सीमा वृद्धि प्रकरणों एवं अन्य सूचनाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय सदस्य सचिव एवं निदेशक पेंशन (आर.पी.एम.एफ.) द्वारा कोषाधिकारियों को समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की जाती है एवं वांछित सूचनाएं भी समय पर प्रेषित नहीं की जाती है। निम्न कमियां देखने में आयी है जिनमें सुधार वांछित है :–

1. मासिक लेखे एवं मासिक प्रतिवेदन भी बार--बार टेलीफोन पर स्मरण कराने पर भेजी जाती है। विलम्ब से सूचनाएं प्राप्त होने से मासिक लेखें/प्रतिवेदन संकलित करने में भी अनावश्यक विलम्ब होता है।
2. प्राप्त मेडिकल क्लेम्स की जांच/परीक्षण पर पाया गया कि सीमा वृद्धि प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन कराये बिना ही इस कार्यालय को भेज दिये जाते है। सीमा वृद्धि प्रकरणों को इस कार्यालय में भेजने से पूर्व कोषालय स्तर पर पूर्ण जांच नहीं की जाती है। सीमा वृद्धि/विशिष्ठ उपचार प्रकरणों में मुख्य रूप से पाई गई कमियों का विवरण संलग्न कर निवेदन है कि भविष्य में समस्त कमियों की पूर्ति करवाकर प्रकरण भिजवाना सुनिश्चित करावें।
3. इसी प्रकार विशिष्ठ इलाज एवं जांच प्रकरण भी अपूर्ण प्राप्त होते हैं। इस कार्यालय द्वारा निर्धारित स्क्रूटनीशीट पूर्ण कर संलग्न नहीं की जाती है। प्रकरण कोषालय स्तर पर पूर्ण जांच किये बिना ही भिजवा दिये जाते है।
4. अन्तर कोषालय राशि हस्तान्तरण की स्वीकृतियों की अनुपालना में राशि हस्तान्तरित नहीं की जाती है, जिसके अभाव में स्वीकृति जारी करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
5. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना नहीं भेजी जाती है अथवा प्रेषित अनुपालना अधूरी होती है।
6. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी के रूप में कोषाधिकारियों द्वारा अपने दायित्त्वों का मुस्तेदी से निर्वहन नहीं किया जाता है। न्यायालय प्रकरणों में न्यायालय निर्णयों की पालना भी यथा समय नहीं किये जाने से अवमानना प्रकरण दायर किये जाने से विभाग की छवि भी न्यायालय में धूमिल होती है। यहां तक कि न्याय विभाग एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को न्यायालय प्रकरणों पर हुऐ निर्णय एवं प्रगति से भी समय पर अवगत नहीं कराया जाता है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत भेजे जाने वाले प्रकरणों की कोष कार्यालय स्तर पर पूर्ण जांच कर प्रेषित करावें ताकि प्रकरणों को अनावश्यक

रूप से लौटाना नहीं पड़े एवं समय पर पेंशनर्स को चिकित्सा सहायता मिल सके। भविष्य में वांछित सूचना समय पर भिजवाना, निरीक्षण प्रतिवेदनो की पूर्ण अनुपालना प्रेषित करना, अन्तर कोषालय राशि हस्तान्तरण स्वीकृतियों की शीघ्र अनुपालना तथा न्यायालय प्रकरणों की समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करावें।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर

क्रमांकः प.21(1)आरपीएमएफ/2007–08/1582-84 दिनांक 11.6.08

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (तृतीय) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक कोष एवं लेखा, वित्त भवन राजस्थान, जयपुर।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर